न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी सिकराय

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार त्यागी

(आर0 ए0 एस0)

वाद पत्र संख्या :– 78/2011

1. मथुरया पुत्र घीस्या जाति मींना निवासी गढोरा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान

वादी

बनाम

1. रेवड पुत्र बसन्ता
2. राजाराम पुत्र बसन्ता
3. मुन्नालाल पुत्र बसन्ता
4. हरजी पुत्र बसन्ता
5. हंसराम पुत्र बसन्ता
6. सीताराम पुत्र बसन्ता
7. रामलाल पुत्र जौहरी
8. मुरली पूत्र जौहरी
9. फैलीराम पुत्र जौहरी
10. रत्तीराम पुत्र जौहरी
11. रामकिशन पुत्र नारायण
    समस्त जाति मींना निवासी गढोरा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान
12. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा

प्रतिवादीगण

दावा अधिघोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती इन्द्राज

वादी की और से :– श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता

प्रतिवादीगण की और से :– श्री राकेश जैंमन अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 7,8,9 10,11,12 की ओर से – कोई उपस्थित नही (एक पक्षीय)

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला–दौसा

वाद पत्र संख्या :– 144/2011

1. सीताराम पुत्र बसन्ता
2. राजाराम पुत्र बसन्ता
3. रेवड पुत्र बसन्ता
4. मुन्नालाल पुत्र बसन्ता
5. हरजी पुत्र बसन्ता
6. हंसराम पुत्र बसन्ता
7. मूली पत्नीं बसन्ता

समस्त जाति मींना निवासी गढोरा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. मुथरया पुत्र घीस्या
2. रामकिशन पुत्र नारायण
3. रामलाल पुत्र जौहरी
4. मुरलीधर पुत्र जौहरी
5. फैलीराम पुत्र जौहरी
6. रत्तीराम पुत्र जौहरी

   समस्त जाति मींना निवासी गढोरा तह सिकराय जिला दौसा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय सिकराय

प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्ती इन्द्राज , उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित

वादीगण की और से :– श्री राकेश जैंमन अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 1 की और से :– श्री विनोद कुमार विजय अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 6 की और से :– कोई नहीं (एक पक्षीय)

दिनांक 21–02–2018

निर्णय

वादी की और से वाद पत्र मुकदमा नं. 78/11 बउनवानी प्रकरण अधिघोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती इन्द्राज का प्रतिवादी संख्या 1 लगा 12 के विरुद्ध दिनांक 05.07.2011 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाके ग्राम गढोरा तह सिकराय मे स्थित कृषी भुमि खसरा नं. 432 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा का खातेदार काश्तकार वादी है तथा उक्त भुमि पर आज दिन भी मौके पर वादी का कब्जा है । उक्त भुमि वादी या वादी के बजर्गान ने प्रतिवादी संख्या 1 लगा 11 के

संख्या 1 लगा 11 के बुजुर्गो से कभी कोई उक्त भूमि पर पैसा लिया है ।
वादी ने हल्का पटवारी से दिनांक 11.3.2011 को उक्त भुमि की जमाबन्दी की नकल ली तो मालुम हुआ कि उक्त भुमि मे प्रतिवादी संख्या 1 लगा 6 के पिता बसन्ता व 7 लगा 10 के पिता जौहरी व प्रतिवादी संख्या 11 का नाम बतौर मुर्तहीन दर्ज हो रहा है तब वादी को सर्वप्रथम इन्द्राज का मालुम पडा और उक्त इन्द्राज का मालुम पडते ही वादी ने बसन्ता जौहरी का देहान्त हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगा 11 को कहा कि उक्त भुमि पर बसन्ता जौहरी व रामकिशन का नाम बतौर मुर्तहीन गलत दर्ज हो रहा है आप उक्त इन्द्राज को हटवाये तो प्रतिवादी संख्या 1 लगा 11 ने कहा कि हम एक दो रोज सोच कर जवाब देगे तो दिनांक 20.3.2011 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगा 11 से कहा कि तुमने उक्त भुमि से मुर्तहीन इन्द्राज को हटवाने का क्या कि तो इन्होने कहा कि हम तो तुमसे 10000रुपये लेबे तब मुर्तहीन के इन्द्राज को हटवायेगे वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगा 11 को समझाया लेकिन वे नही समझे तो दिनांक 20.3.2011 को ही वादी ने गॉव के प्रमुख लोगो के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 लगा 11 को 10000रुपये नगद अदा कर दिये तब प्रतिवादी संख्या 1 लगा 11 ने उक्त मुर्तहीन इन्द्राज को हटाने की तय कर ली । यघपि वादी के बुजुर्गो ने प्रतिवादी संख्या 1 लगा 11 व इनके बुजुर्गो से कोई रुपया उक्त भुमि पर नही लिया था किन्तु फिर भी गलत इन्द्राज हो जाने से मुकदमे बाजी से बचने के लिये वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगा 11 को 10000रुपये नगद अदा कर दिये । वादी प्रतिवादी संख्या 1 लगा 11 से उक्त रुपये अदा करने के बाद लगातार कहता चला आ रहा है कि आप कोर्ट मे चलो और उक्त बसन्ता जौहरी रामकिशन के नाम हो रहे मुर्तहीन के इन्द्राज को हटवाओ तो प्रतिवादी संख्या 1 लगा 11 ने कोई न कोई बहाना बनाकर टालते चले आ रहे है और उक्त इन्द्राज को नही हटवा रहे है । दिनांक 15.6.2011 को वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगा 11 को उक्त इन्द्राज को दबाव देकर हटवाने की कहने पर उन्होने उक्त इन्द्राज को हटवाने से मना कर दिया और धमकी दी कि उक्त भुमि से हम तुम्हे बेदखल करेगे और जबरन कब्जा करेगे और तुम्हारे द्वारा दिये गये 10000रुपये भी तुम्हे वापिस नही करेगे अतः बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा करना लाजिम आया है और अधिघोषण कराना एंव प्रतिवादी संख्या 1 लगा 11 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना एंव दुरूस्ती करवाना आवश्यक हो गया है । बिनाय दावा बिनाय मुखास्मत दिनांक 11.3.2011 को 20,3,2011 को , 15.3.2011 को न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे उत्पन्न हुआ है तथा वादी ने उक्त वाद पत्र मे निम्न अनुतोष प्रदान करने की डिक्री वादी के हक मे इस आशय की डिक्री प्रदान करने का निवेदन किया कि अधिघोषणा इस आशय की पारित फरमाने की कृपा करे कि वाके ग्राम गढोरा तह सिकराय मे स्थित कृषी भुमि खसरा नं. 432 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा पर बसन्ता जौहरी पिसरान महुवा , रामकिशन पुत्र नारायण कौम मीना निवासी गढोरा का मुर्तहीन के रुप मे हो रहा इन्द्राज गलत इन्द्राज है उक्त इन्द्राज को वादी समाप्त करवा कर उक्त भुमि का वादी अपने आप को खातेदार काबिज काश्तकार घोषित करवाने का हक अधिकारी है तदनुसार डिक्री वादी के पक्ष मे प्रतिवादी संख्या 1 लगा 11 के खिलाफ पारित फरमाई जावे व उक्तानुसार तहसीलदार सिकराय को दुरूस्ती का आदेश देने की कृपा करे तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगा 11 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने की कृपा करे कि वाके ग्राम गढोरा तह सिकराय मे स्थित कृषी भुमि खसरा नं. 432 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा के कब्जे वादी मे प्रतिवादी संख्या 1 लगा 11 स्वयं अपने ऐजेन्टो

नौकरो रिश्तेदारो से कोई दखल नही पहुचावे एंव उक्त भुमि से वादी को जबरन बेदखल नही करे । एंव उक्त भुमि के राजस्व रिकोर्ड मे बसन्ता जौहरी के स्थाई पर प्रतिवादी संख्या 1 लगा 10 राजस्व रिकोर्ड मे नही करवावे । उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 लगा 6 की ओर से वाद पत्र को अस्वीकार करते हुये प्रत्येक चरणवार जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भुमि खसरा नं. 432 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा वाके ग्राम गढोरा तह सिकराय मे होना स्वीकार है तथा वादी का उक्त सम्पुर्ण भुमि पर किसी प्रकार का हक व कब्जा नही है उक्त भुमि के राजस्व रिकोर्ड मे वादी का इन्द्राज गलत रुप से हो रहा है उक्त भुमि के हिस्सा 1/3 के मालिक व काबिज प्रतिवादी संख्या 1 लगा 6 है, 1/3 हिस्से के मालिक व काबिज प्रतिवादी संख्या 7 लगा 10 है तथा 1/3 हिस्से के काबिल व मालिक प्रतिवादी संख्या 11 बजमाने बुजुर्गान के समय से सैकडो वर्षो से काबिज चले आ रहे है वादी का उक्त भुमि पर कभी कोई कब्जा नही रहा है और आज दिन भी वादी का उक्त भुमि पर कोई कब्जा नही है वादी ने किसी भी प्रकार की कोई राशि प्रतिवादीगण को नही दी है बल्कि वादी ने झुठे तथ्य दर्ज किये है वादी का नाम का उक्त भुमि के रिकोर्ड मे जो इन्द्राज है वह कानुनन शुन्य है ऐसे शुन्य इन्द्राज के आधार पर वादी को कोई कानुनी अधिकार प्राप्मत नही हो सके और वादी उक्त भुमि की अधिघोषणा व दुरूस्ती इन्द्राज करवाने का अधिकार नही है और नही वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है प्रतिवादीगण के पिता नारायण जौहरी बसन्ता पिसरान महुवा सैकडो वर्षो से उक्त भुमि पर वादी या वादी के बजुर्गान का कोई कब्जा नही रहा है प्रतिवादीगण उक्त सम्पुर्ण भुमि पर 12 वर्ष सं अधिक वर्षो से अर्थात् सैकडो वर्षो से काबिज हो रहे है । तथा वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है । इत्यादि कथन कर वाद पत्र को अस्वीकार कर खारीज किये जाने का निवेदन किया ।

उक्त वाद पत्र संख्या 78/11 बउनवानी प्रकरण मुथरया बनाम रेवड मे वर्णित प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा 6 एंव उनकी माता मुली देवी के द्वारा एक पृथक से वाद पत्र उनवानी सीताराम बनाम मुथरया दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 23.11.2011 को प्रस्तुत किया गया तथा उक्त वाद पत्र मे रामकिशन व जौहरी के वारिशान को प्रतिवादी के रुप मे संयोजित किया है जिसमे भी उक्त वाद पत्र संख्या 144/11 के वादीगणो ने मुकदमा नं. 78/11 मे प्रस्तुत जवाब दावे मे अंकित कथनो का दोहरान कर उक्त आराजी खसरा नं. 432 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा पर वादीगण बसन्ता के वारिशान के ह कमे 1/3हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 3 लगा 6 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने और प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ करने तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने की इस्तदुआ चाही है।

इत्यादि पर वादी के वाद पत्र मुकदमा नं. 78/2011 उनवानी मुथरया बनाम रेवड व सीताराम बनाम मुथरया मुकदमा नं. 144/11 दर्ज रजिस्टर किये गये तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये जिस पर मुकदमा नं. 78/11 मे प्रतिवादी संख्या 1 लगा 6 की ओर से श्री राकेश जैमन अधिवक्ता उपस्थित आये तथा शेष प्रतिवादी संख्या 7 लगा 12 बावजुद तामिल उपस्थित नही आने के कारण एक पक्षिय कार्यवाही की गई तथा उक्त पत्रावली वास्ते जवाब हेतु नियत की गई । प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा 6 की ओर से दिनांक 18.4.2012 को जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । ततपश्चात पत्रावली संख्या 78/11 वास्ते कायमी तनकी हेत नियत की गई तथा मुकदमा नं. 144/11

7 के विरूद्व बावजुद तामिल उपस्थित नही आने के कारण एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई गई तथा पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु कायम की गई परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 की ओर सें एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जा.दी. दिनांक 6.6.2012एक पक्षिय आदेश को निरस्त करवाने का प्रस्तुत किया जो न्यायालय के द्वारा दिनांक 5.6.2013 को स्वीकार किया गया तथा उक्त प्रकरण के प्रतिवादी मुथरया के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली की गई ततपश्चात उक्त पत्रावली को भी कायमी तनकी हेतु नियत की गई इस प्रकार दोनो पत्रावली कायमी तनकी हेतु नियत थी इसी दरमियान प्रतिवादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2012 को बाबत् उक्त दोनो प्रकरणो की सुनवाई एक साथ करते हुये एक साथ तनकीयात कायम करने का प्रस्तुत किया गया जिसको न्यायालय के द्वारा दिनांक 9.10.2013 को स्वीकार कर दोनो पत्रावली सीताराम बनाम मुथरया मुकदमा नं. 144/11 व मुथरया बनाम रेवड मुकदमा नं. 78/11को हम किता की गई इस प्रकार उक्त दोनो पत्रावलीयो को हम किता किये जाने के कारण उक्त दोनो पत्रावलीयो मे विवादित आराजी एक ही होने के कारण एंव उक्त दोनो प्रकरणो मे एक ही अनुतोष होने के कारण पत्रावलीयो की सुनवाई एक साथ की गई।

इस प्रकार उक्त दोनों प्रकरणों का विचारण एक साथ किया जाकर उभय पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर दिनांक 30.10.2013 को न्यायालय के द्वारा निम्न तनकीयात विवेचित की गई ।

तनकी नं. 1 :– आया वादी विवादित भुमि की खातेदारी की उदघोषणा अपने नाम करवाने का एंव प्रतिवादीगण के बुजुर्गो का व प्रतिवादीगण का नाम हजफ करवाने का अधिकारी है ।

वादी

तनकी नं. 2 :– आया प्रतिवादीगण रेवडराम सीताराम आदि विवादित भुमि की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने के अधिकारी है तथा उक्त भुमि से राजस्व रिकोर्ड से वादी मुथरया का नाम हजफ करवा कर बतौर खातेदारी रेवडराम सीताराम आदि के नाम करवाने के अधिकारी है । प्रतिवादी का दावा उनवानी सीताराम बनाम मुथरया डिक्री किये जाने योग्य है ।

प्रतिवादीगण

तनकी नं. 3 :– आया बसन्ता की वारिश मूली को दावे मे पक्षकार नही बनाये जाने के कारण दावा वादी चलने योग्य नही है ।

प्रतिवादी

तनकी नं. 4 अनुतोष

ततपश्चात पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई जिसमे मुकदमा नं. 78/11 मुथरया बनाम रेवड मे वादी की ओर से बतौर साक्ष्य के रुप मे पी0 डब्लू0 –1 स्वयं वादी मुथरया तथा साक्षी पी0 डब्लू –2 रामस्वरूप पुत्र रंगलाल ,पी डब्लु 3 गंगाविशन पुत्र पन्नालाल के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये । प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादी के साक्षीयो से जिरह की गई तथा वादी मुथरया की ओर से अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नही किये जाने के कारण साक्ष्य वादी बन्द कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत की गई तथा प्रतिवादी सीताराम की ओर से बतौर साक्षी प्रतिवादी के रुप मे डी डब्लु 1 राजाराम पुत्र बसन्ता , साक्षी डी डब्लु 2 रामकिशन पुत्र नारायण ने साक्षी डी डब्लु 3 रामप्रसाद पुत्र मंगुराम के शपथ पत्र प्रस्तुत किये

गये जिसमे वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवादी साक्षी राजाराम से जिरह की गई तथा अन्य साक्षी डी डब्लु 2 रामकिशन व डी डब्लु 3 रामप्रसाद के उपस्थित नही आने के कारण जिरह बन्द की गई तत्पश्चात उक्त दोनो पत्रावलीया वास्ते बहस हेतु नियत की गई ।

उपरोक्त उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। बहश का मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया गया विद्वान अधिवक्ताओ ने बहश के दौरान अपने अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिवचनों का ही दोहरान किया गया तथा अपनें अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य पेश की दोनों प्रकरण एक ही भुमि से संबंधित होने के कारण प्रत्येक तनकीवार दोनो प्रकरणो का निस्तारण भी एक ही निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।

तनकी नं. 1 :– आया वादी विवादित भुमि की खातेदारी की उदघोषणा अपने नाम करवाने का एंव प्रतिवादीगण के बुजुर्गो का व प्रतिवादीगण का नाम हजफ करवाने का अधिकारी है ।

वादी

उक्त तनकी को साबित करनें का भार स्वयं मुथरया वादी पर है वादी के विद्वान अधिवक्ता नें वाद पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान किया तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता का बहश के दौरान कथन रहा है कि वाके ग्राम गढोरा तह सिकराय मे स्थित कृषी भुमि खसरा नं. 432 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा का खातेदार काश्तकार वादी है तथा उक्त भुमि पर आज दिन भी मौके पर वादी का कब्जा है तथा उक्त भुमि को वादी ने कभी भी प्रतिवादीगण या उनके बुजुर्गो के यहॉ कभी भी रहन नही रखी और नही कभी किसी प्रकार की कोई राशि उनसे ली है अपतु प्रतिवादीगण के बुजुर्गो से गुपचुप तरिके से उक्त भुमि के राजस्व रिकोर्ड मे बसन्ता व जौहरी व रामकिशन का नाम गलत रुप से अंकन करवा लिया जिसको हटवाया जाना आवश्यक है । तथा उक्त भुमि मे बसन्ता जौहरी रामकिशन के नाम को हटवाने के बाबत् गॉव के लोगो के समक्ष कहा भी तथा इसके बाबत् 10000 रुपये की प्रतिवादी की ओर से मॉग की गई जिसकी पुर्ति भी वादी द्वारा कर दी गई । परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा अपने नाम हो रहे गलत रहन के इन्द्राज को नही हटवाया जबकि राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी मे बतौर खातेदार के रुप मे स्वयं वादी का नाम दर्ज व अंकित बजमाने बुजुर्गान के समय से ही चला आ रहा है वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी प्रर्दश पी1 प्रस्तुत की है तथा बतौर मौखिक साक्ष्य के रुप मे साक्षी पी डब्लु 1 स्वयं वादी मुथरया व अन्य दो साक्षी पी डब्लु 2 रामस्वरूप व पी डब्लु 3 गंगाविशन को परिक्षित करवाया गया है जिन्होने वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र की पुर्ण रुप से समर्थन किया है तथा मुकदमा नं. 78/11 मे वर्णित प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 11 बावजुद तामिल उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही कर दी गई थी जिनके द्वारा भी उक्त वाद पत्र मे किसी प्रकार का कोई जवाब दावा भी प्रस्तुत नही किया गया है तथा मुकदमा नं. 144/11 उनवानी सीताराम बनाम मुथरया मे भी प्रतिवादी संख्या 7 लगा 11 को बतौर प्रतिवादी के रुप मे संयेाजित किया है उसमे भी जौहरी व रामकिशन के द्वारा कोई जवाबदावा न्यायालय मे प्रस्तुत नही किया है इस प्रकार उक्त दोनो वाद पत्र मे जौहरी व रामकिशन के वारिशान ने कोई जवाब दावा आज दिन तक कोई पत्रावली पर प्रस्तुत किया है और नही अपना कोई हक हिस्सा होने का कथन अंकित किया है और नही उनकी ओर से आज दिनांक तक कोई पृथक

वादी मुथरया के द्वारा उक्त भुमि बसन्ता जौहरी व रामकिशन के राहिन रखी गई है या नही । मुकदमा नं. 78/11 मे वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 लगा 6 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर उक्त भुमि पर अपना बजमाने सैकडो वर्षो से कब्जा होने का कथन अंकित किया है तथा उक्त भुमि कों रहन रखने तथा राशि वादी मुथरया अथवा उसके पुर्वजो को देने का कोई कथन अपने जवाब दावे मे अंकित नही किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 7 लगा 11 की ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया है अपितु उनके विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लाई गई है तथा मुकदमा नं. 78/11 मे वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 लगा 6 के द्वारा एक वाद पत्र संख्या 144/11 उनवानी सीताराम बनाम मुथरया का पृथक से प्रस्तुत किया गया है । जिसमे भी उन्होने उक्त भुमि पर बजमाने बुजुर्गान के समय से अपना कब्जा होना कथन अंकित किया है उसमे भी कोई राशि वादी मुथरया को देने का कथन अंकित नही किया है अपितु कब्जे के आधार पर मुकदमा संख्या 144/11 मे वर्णित वादीगण ने 1/3 हिस्से पर उक्त भुमि पर अपना कब्जा होने का कथन अंकित किया है उसमे भी वर्णित प्रतिवादी संख्या 2 लगा 6 की ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही किया है । उसमे भी रामकिशन पुत्र नारायण व जौहरी के वारिशान के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही की गई है तथा मुकदमा नं. 144/11 मे वर्णित वादीगण ने ही जौहरी व रामकिशन का 1/3,1/3 हिस्से पर कब्जा होने का कथन अंकित किया है परन्तु जौहरी के वारिशान व रामकिशन की ओर से किसी भी प्रकार का कोई जवाब दोनो ही वाद पत्रो मे प्रस्तुत नही किया है तथा वादीगण सीताराम वगैरा की ओर से उक्त भुमि को रहन रखने एंव उक्त भुमि को रहन रखने बाबत् कोई राशि का लेनदेन की बाबत् कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया है कानुनन धारा 43 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार एंव सम्पत्ती हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार 5 वर्ष से अधिक कोई भी सम्पत्ती रहन नही रह सकती यदि 5 वर्ष से अधिक समय पर यदि कोई सम्पत्ती रहन के रुप मे दर्ज हो तो वह 5 वर्ष पश्चात स्वतः ही रहनमुक्त हो जाती है तथा यदि उस पर राहिनकर्ता का कब्जा हो तो वह अतिक्रमी माना जाता है ऐसी सुरत मे 144/11 मे वर्णित वादीगण सीताराम वगैरा के द्वारा उक्त भुमि को राहिन रखने के बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है और नही उक्त भुमि के राशि की लेनदेन का दस्तावेज पेश किया है और सीताराम वगैरा की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी डब्लु 1 राजाराम के द्वारा भी उक्त राशि के लेनदेन बाबत् अपनी साक्ष्य मे कथन अंकित नही किया है और सीताराम वगैरा की ओर से प्रस्तुत अपने वाद पत्र मे साक्षी पी डब्लु 2 रामप्रसाद पुत्र मंगूराम व पी डब्लु 3 मुंशीराम पुत्र सुखराम ने भी उक्त भुमि को रहन रखने बाबत् कोई कथन अपने शपथ पत्र मे भी अंकित नही किया है और साक्षी पी डब्लु 2 व पी डब्लु 3 से किसी भी प्रकार की जिरह भी सीताराम वगैरा के द्वारा नही करवाई गई है मुथरया के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 78/11 मे साक्षी डी डब्लु 1 राजाराम , डी डब्लु 2 रामकिशन पुत्र नारायण व डी डब्लु 3 रामप्रसाद पुत्र मंगुराम की साक्ष्य करवाई है परन्तु रामकिशन व साक्षी रामप्रसाद से कोई जिरह नही की गई है । रामकिशन पुत्र नारायण उक्त वाद पत्र मे बतौर प्रतिवादी के रूप मे संयाजित था जिसके द्वारा कोई जवाब भी प्रस्तुत नही किया गया है परन्तु उसके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है । अब उक्त दोनों पत्रावलीयों के अभिवचनों एवं साक्ष्य का समग्र विवेचन करनें से वादी मुथरया का वाद पत्र संख्या 78/11 उनवानी मुथरया बनाम रेवड अपने वाद पत्र को साबित करने मे पुर्णतया सफल रहा है तथा मुकदमा नं. 78/11 मे वर्णित

सीताराम बनाम मुथरया को साबित करने मे असफल रहे है इसलिये वादी मुथरया का वाद पत्र स्वीकार कर उक्त भुमि खसरा नं. 432 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा मे खातेदारी उद्घोषणा करना न्यायोचित प्रतीत होता है तथा प्रतिवादीगण सीताराम के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र कासीताराम बनाम मुथरया अपने वाद पत्र को साबित करने मे असफल रहने के कारण खारीज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है इसलिए तनकी नंबर 1 वादी मुथरया के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण सीताराम के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2 :– आया प्रतिवादीगण रेवडराम सीताराम आदि विवादित भुमि की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने के अधिकारी है तथा उक्त भुमि से राजस्व रिकोर्ड से वादी मुथरया का नाम हजफ करवा कर बतौर खातेदारी रेवडराम सीताराम आदि के नाम करवाने के अधिकारी है । प्रतिवादी का दावा उनवानी सीताराम बनाम मुथरया डिक्री किये जाने योग्य है ।

प्रतिवादीगण

तनकी नं. 3 :– आया बसन्ता की वारिश मूली को दावे मे पक्षकार नही बनाये जाने के कारण दावा वादी चलने योग्य नही है ।

प्रतिवादी

तनकी नं. 4 अनुतोष

उक्त तनकी नंबर 2, 3, 4, को साबित करनें का भार प्रतिवादीगण पर है प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे एंव पृथक से प्रस्तुत वाद पत्र सीताराम बनाम मुथरया मे प्रस्तुत अभिवचनो एंव दस्तावेजी एंव मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से उक्त भुमि पर प्रतिवादीगण का किस आधार पर कब्जा है वह उक्त भुमि किस प्रकार से व किसके द्वारा रहन रखी गई थी इसका कही कोई अकंन अपने वाद पत्र अथवा जवाब दावे मे अकित नही किया है और नही कोई राशि की लेन देन के बाबत् कथन अंकित किया है मात्र कब्जे के आधार पर उक्त भुमि खसरा नं. 432 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा मे प्रतिवादी बसन्ता के वारिशान व रामकिशन पुत्र नारायण व जौहरी के वारिशान अर्थात् प्रत्येक का उक्त भुमि मे 1/3,1/3 हिस्से पर कब्जा होने का कथन अंकित किया है और कब्जे के आधार पर मात्र 1/3,1/3 हिस्से की उद्घोषणा करने का अनुतोष न्यायालय से चाहा है जो काबिले विश्वासनीय नही है । विस्तृत विवरण तनकी नं. 1 पुर्व मे ही न्यायालय के द्वारा विवेचन किया जा चुका है इसलिये तनकी नं. 2, 3 का विस्तृत विवेचन किया जाना आवश्यक नही है इस प्रकार तनकी नं. 2,3,4 भी वादी मुथरया के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है।

इस प्रकार उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर विस्तृत विवेचन किया जाना आवश्यक नहीं है वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मुथरया बनाम रेवड मुकदमा नंबर 78/11 अपनें वाद पत्र को साबित करनें में पूर्णतया सफल रहा है न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि मुथरया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मुथरया बनाम रेवड मुकदमा नंबर 78/11 दावा बाबत उद्घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एंव दुरूस्ती इन्द्राज का वाद पत्र एवं वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष स्वीकार कर डिक्री किये जानें योग्य है तथा मुकदमा नंबर 144/11 सीताराम बनाम मुथरया दावा बाबत उद्घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र एवं वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष अस्वीकार कर खारिज किया जाता है

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मुथरया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मुथरया बनाम रेवड मुकदमा नंबर 78/11 वाद पत्र तथा वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष स्वीकार कर डिक्री किये जानें योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी मुथरया का वाद पत्र स्वीकार कर वाके ग्राम गढोरा तहसील सिकराय में स्थित खसरा नंबर 432 रकबा 02 बीघा 19 बिस्वा का काबिज खातेदार काश्तकार वादी मुथरया को घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार सिकराय को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी मे अंकित बसन्ता , जौहरी पिसरान महवा व रामकिशन पुत्र नारायण के नाम राहिन के अंकन को हजफ किया जावे तथा राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी मे वादी मुथरया का नाम बतौर खातेदार के रुप मे अंकन किया जावे । तद्नुसार डिक्री पर्चा तैयार किया जावे डिक्री उक्त निर्णय का भाग रहेगी खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगें।

अशोक कुमार त्यागी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सिकराय

(आर0 ए0 एस0)

निर्णय आज दिनांक 21–02–2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया तथा मेंरे द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

अशोक कुमार त्यागी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सिकराय

(आर0 ए0 एस0)